Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

[illegible] बन चेला बनाम मूर्ति मंदिर महावीर

किस्म मुकदमा 88, 89 नं. .... सन् [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है वादीगण द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस बाबत प्रस्तुत किया गया है की ग्राम चंद्रसेल में 43.75 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो मूर्ति मंदिर महादेव जी के खाते दर्ज है उपरोक्त वर्णित भूमि वास्तव में माफी मठ की भूमि थी तथा वादी उक्त मठ का महंत है। माफी के खालसा हो जाने के कारण वादी उक्त भूमि का खातेदार टिनेंट बन गया तथा खातेदार की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि को गलत तोर से सम्वत 2015 में हुए सेटलमेंट के दौरान माफी मंदिर महादेव जी के दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर वादी को वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार टिनेंट घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खाते दर्ज किए जाने की डिक्री प्रदान की जाए। हमने पत्रावली संलग्न दस्तावेजों तथा प्रकरण की संपूर्ण नोट शीट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रश्नगत समस्त कृषि आराजी मूर्ति मंदिर महादेव जी चंद्रेसल के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त सुचना अनुसार प्रश्नगत संपूर्ण आराजी को जिला कलेक्टर महोदय कोटा के आदेश अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कब्जा राज किया हुआ है तथा प्रश्नगत संपूर्ण कृषि आरजी की व्यवस्था तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मुनाफा काश्त के माध्यम से की जाती है तथा मुनाफा काश्त से प्राप्त संपूर्ण राशि को मूर्ति मंदिर हेतु खोले गए बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जमा करवा दिया जाता है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह उल्लेखित किया है कि माफी की भूमि खालसा हो भूमि हो चुकी है तथा खालसा हो जाने के बाद वादी उक्त भूमि का खातेदार टीनेंट बन गया है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तत नही किया है जिससे भूमि का रिज्यूम होना तथा वादी का खुदकाश्त होना दर्ज प्रमाणित होता हो। हमारे विन्रम मत में वादी अपने पक्ष को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय आज दिनांक 28/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 28/11/27 उपखण्ड अधिकारी को.. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★	